

अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा मे सरपटा-चनुली-कोटा-बासोट मोटर मार्ग का नव
निर्माण (0.537 हेक्टर)
लम्बाई :- 8.50 किलोमीटर।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य
कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा याचित 0.537 हेक्टर वन भूमि की मांग न्यूनतम है। इससे कम
वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

(डी.एस.जरमाल)
कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)


(पी.ए.भंडारी)
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)

(के.एस. अस्सावाल)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)

हेक्टर/
प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा

हेक्टर/
जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

वन शोधाधिकारी
मोहान रेंज,
बल्योड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा



वन संरक्षण विभाग
विभाग अधिकारी /

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी
विभाग अधिकारी /

प्रभागीय वनाधिकारी